अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983

धाराओं का क्रम

धाराएं

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

2. लागू होना ।

3. परिभाषाएं और निर्देशों का अथन्वियन ।

4. अधिनियम का अव्यारोही प्रभाव ।

अध्याय 2
अधिकरणों की स्थापना

5. अवैध प्रवासी (अवधारण) अधिकरणों की स्थापना ।

6. रिक्तियों का भरा जाना ।

7. अधिकरणों के कर्मचारिवृन्द ।

8. अधिकरणों को निर्देश या आवेदन ।

8क. निर्देश के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन ।

9. अधिकरण की शक्तियां ।

10. धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन निर्देशों के संबंध में प्रक्रिया ।

11. धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन आवेदनों के संबंध में प्रक्रिया ।

12. इस प्रश्न का अवधारण कि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी है या नहीं ।

13. निर्देशों और आवेदनों का छह मास के भीतर निपटाया जाना ।

14. अपील ।

15. अपील अधिकरण ।

16. अपील अधिकरण का आदेश।

17. अपील अधिकरणों की अधीक्षण की शक्ति।

अध्याय 3

सभी अधिकरणों को लागू होने वाले उपबंध

18. प्रक्रिया।

19. कुछ प्रयोजनों के लिए प्रत्येक अधिकरण के समक्ष कार्यवाही का न्यायिक कार्यवाही होना।

अध्याया 4

अधिकरणों द्वारा किए गए आदेशों का प्रवर्तन

20. अवैध प्रवासियों का निष्कासन।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

21. शक्तियों का प्रत्यायोजन।

21क. कतिपय व्यक्तियों को, जिनके विरुद्ध अधिनियम के अधीन परिवाद किया गया है, आबद्ध करने की शक्ति।

22. आदेशों आदि को प्रभावी करने की शक्ति।

23. सिविल न्यायालयों की आधिकारिता का वर्जन।

24. अस्थायी उपबन्ध।

25. शक्तियां।

26. सद्भावपूर्वक की गई कारवाई के लिए संरक्षण।

27. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

28. नियम बनाने की शक्ति।

29. निरसन और व्यावृति।

अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983

(1983 का अधिनियम संख्यांक 39)

[25 दिसम्बर, 1983]

केन्द्रीय सरकार को भारत से अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने में समर्थ बनाने के लिए इस प्रश्न का उचित रीति से अवधारण करने के लिए कि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी है या नहीं, अधिकरणों की स्थापना और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

अत्यधिक संख्या में ऐसे विदेशी, जिन्होंने देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर प्रदेशों की सीमाओं के पार से भारत में 25 मार्च, 1971 को और उसके पश्चात् प्रवास किया है, ऐसे प्रवास की परिस्थितियों का और भारत की जनता से संजातीय विषयक समानता और अन्य संबंधों का लाभ उठाते हुए और ऐसा करने का कोई विधिपूर्ण प्राधिकार न रखते हुए भारत में रह गए हैं;

और भारत में ऐसे विदेशियों का बना रहना भारत की जनता के हितों के लिए हानिकर है ;

और ऐसे विदेशियों की संख्या तथा उस रीति से, जिससे ऐसे विदेशी चोरी-छिपे भारत के नागरिक के रूप में खपने का प्रयास कर रहे हैं और सभी अन्य सुसंगत परिस्थितियों के कारण, भारत के नागरिको के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे विदेशियों का असम में और भारत के ऐसे अन्य भागों में, जिनमें यह पाया जाए कि ऐसे विदेशी अवैध रूप से रह गए हैं, पता लगाने के लिए विशेष उपबंध किए जाएं ;

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह असम राज्य में 15 अक्तूबर, 1983 को और किसी अन्य राज्य में उस तारीख को, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, प्रवृत्त होगा और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम में, इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति निर्देशों का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे ऐसे राज्य में इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के प्रति निर्देश है।

2. लागू होना— इस अधिनियम की कोई बात——

(क) ऐसे किसी व्यक्ति को या उसके संबंध में लागू नहीं होगी जो किसी राज्य में था और जिसे उस राज्य में इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व उस राज्य से या भारत से निष्कासित कर दिया गया था अथवा ऐसे राज्य या भारत से उसके निष्कासन के संबंध में ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किसी अन्य विधि के अधीन किया गया कोई आदेश प्रवृत्त है ;

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति को या उसके संबंध में लागू नहीं होगी, जिसके बारे में भारत की किसी सीमा के पार से उसके प्रवेश के समय यह पता लगाया गया था कि वह विदेशी है ;

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को या उसके संबंध में लागू नहीं होगी जिसने भारत में विधिमान्य पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेजों के अधीन भारत में प्रवेश किया है और जो उस अवधि के समाप्ति के पश्चात्, जिसके लिए वह ऐसे पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेजों के अधीन भारत में रहने के लिए प्राधिकृत किया गया था, भारत में रह रहा है।

3. परिभाषाएं और निर्देशों का अर्थान्वयन—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अपील अधिकरण"" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "विदेशी" का वही अर्थ है जो विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) में है;

(ग) "अवैध प्रवासी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके संबंध में निम्नलिखित शर्तों में से प्रत्येक पूरी हुई है, अर्थात:-

(i) उसने भारत में 25 मार्च, 1971 को या उसके पश्चात् प्रवेश किया है ;

(ii) वह विदेशी है;

(iii) उसने भारत में विधिमान्य पासपोर्ट या अन्य यात्रा-दस्तावेज या उस निमित्त किसी अन्य विधिपूर्ण प्राधिकार के न होने पर प्रवेश किया है ;

(घ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) "अधिकरण" से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अधिकरण अभिप्रेत है ।

(2) इस अधिनियम में ऐसी किसी विधि के प्रति निर्देश का, जो किसी क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, उस क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश है ।

4. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंध पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (1920 का 34) या विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) या आप्रवासी (आसाम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 (1950 का 10) या पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) या उक्त अधिनियमों में से किसी के अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश में, जो तत्समय प्रवृत्त है, किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आप्रवासी (आसाम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 (1950 का 10) की धारा 2 के परन्तुक की कोई बात धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) में परिभाषित किसी अवैध प्रवासी को या उसके संबंध में लागू नहीं होगी ।

अध्याय 2
अधिकरणों की स्थापना

5. अवैध प्रवासी (अवधारण) अधिकरणों की स्थापना—(1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उतने अवैध प्रवासी (अवधारण) अधिकरण स्थापित कर सकेगी, जितने वह आवश्यक समझे और प्रत्येक ऐसे अधिकरण की बैठक का मुख्य स्थान और ऐसी राज्यक्षेत्रीय परिसीमाओं को, जिनके भीतर प्रत्येक ऐसा अधिकरण अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) कोई व्यक्ति किसी ऐसे अधिकरण के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह किसी राज्य में जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न हो या न रहा हो ।

(3) प्रत्येक अधिकरण [1][दो सदस्यों] से मिलकर बनेगा ।

(4) किसी अधिकरण की स्थापना पर, केन्द्रीय सरकार उसके सदस्यों में से एक को ऐसे अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी ।

(5) प्रत्येक अधिकरण अपनी बैठक के मुख्य स्थान में और ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा, जिन्हें उसका अध्यक्ष, समय-समय पर, नियत करे ।

6. रिक्तियों का भरा जाना—यदि किसी कारण से अधिकरण के अध्यक्ष या [2][सदस्य] का पद रिक्त हो जाता है तो केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को, जो धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं पूरी करता है, ऐसे अधिकरण के, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करके, ऐसी रिक्ति को भर सकेगी ।

7. अधिकरणों के कर्मचारिवृन्द—केन्द्रीय सरकार प्रत्येक अधिकरण को ऐसे कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों ।

8. अधिकरणों को निर्देश या आवेदन—(1) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी है या नहीं तो केन्द्रीय सरकार, चाहे ऐसा प्रश्न ऐसे व्यक्ति द्वारा विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) के अधीन उससे भारत में रहने की अपेक्षा करने वाले किसी आदेश के विरूद्ध या किसी अन्य आशय से किए गए अभ्यावेदन से उत्पन्न हुआ हो, या किसी अन्य रीति से उत्पन्न हुआ हो, ऐसे प्रश्न को विनिश्चय के लिए अधिकरण को निर्देशित करेगी ।

---

[1]. 1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 2 द्वारा (25-04-1988 से) प्रतिस्थापित ।

[2]. 1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 3 द्वारा (25-04-1988से) प्रतिस्थापित ।

(2) [1][***] कोई व्यक्ति अधिकरण को इस बारे में उसके विनिश्चय के लिए कि कोई व्यक्ति, जिसका नाम और अन्य विशिष्टियां आवेदन में दी गई हैं, अवैध प्रवासी है या नहीं, आवेदन कर सकेगाः

[2][परन्तु ऐसा कोई आवेदन अधिकरण द्वारा तभी ग्रहण किया जाएगा जब वह व्यक्ति जिसके संबंध में आवेदन किया गया है उसी पुलिस थाने को अधिकारिता के भीतर, जिसमें आवेदक का निवास-स्थान है पाया जाता है, या निवास करता है।]

(3) उपधारा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप मे और ऐसे रीति से, जो विहित की जाए, किया जाएगा और उसके साथ [4][उसी पुलिस थाने की अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले, जिसकी अधिकारिता में आवेदन में निर्दिष्ट व्यक्ति पाया गया है] या निवास करता है, आवेदन में किए गए प्रकथनों की संपुष्टि करते हुए कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा दिए गए शपथ-पत्र होंगे और उसके साथ विहित फीस होगी, जो [4][दस] रुपए से कम और सौ रुपए से अधिक नही होगी ।

[3][(4) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक निर्देश उस अधिकरण को किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर, ऐसे निर्देश में नामित व्यक्ति का, ऐसा निर्देश किए जाने के समय निवास-स्थान हैः

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति का कोई निवास-स्थान नहीं है वहां निर्देश उस अधिकरण को किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर ऐसा व्यक्ति, ऐसा निर्देश किए जाने के समय, पाया गया है ।

(5) उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन उस अधिकरण को किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर ऐसे आवेदन में नामित व्यक्ति, ऐसा आवेदन किए जाने के समय, यथास्थिति, पाया गया है या उसका निवास-स्थान है।]

“[3][“**8क. निर्देश के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन**—(1) कोई व्यक्ति, अधिकरण द्वारा यह विनिश्चित करने के लिए कि वह व्यक्ति जिसका नाम और अन्य विशिष्टयां आवेदन में दी गई हैं, अवैध प्रवासी है या नहीं है, केंद्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा और जहां कोई ऐसा आवेदन केंद्रीय सरकार को प्राप्त होता है वहां वह, ऐसी किसी जानकारी के आधार पर जो उसके कब्जे में है या ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझती है, आवेदन को, इस आधार पर नामंजूर कर सकती है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला है या वह इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन नही करता है अथवा ऐसे आवेदन को विनिश्चय के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, किया जाएगा और उसके साथ उसी राजस्व उपखंड की, जिसमें आवेदक निवास करता है, अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले एक अन्य व्यक्ति की ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, इस प्रभाव की घोषणा होगी कि आवेदन में उल्लिखित विशिष्टियां उसके ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैः

परंतु कोई व्यक्ति दस से अधिक ऐसे आवेदन या दस से अधिक ऐसी घोषणाएं नहीं करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक निर्देश उस अधिकरण को किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर ऐसे निर्देश में नामित व्यक्ति का, ऐसा निर्देश किये जाने के समय, निवास-स्थान हैः

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति का कोई निवास-स्थान नहीं है, वहां निर्देश उस अधिकरण को किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर ऐसा व्यक्ति, ऐसा निर्देश किये जाने के समय, पाया गया है”।]

9. अधिकरण की शक्तियां—प्रत्येक अधिकरण को निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थातः—

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उनकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

---

[1].1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 4 द्वारा (25-04-1988 से) लोपित ।

[2].1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 4 द्वारा (25-04-1988 से) लोप किया गया ।

[3].1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 5 द्वारा (25-04-1988 से) अंतःस्थापित ।

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना ;

(ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

10. धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन निर्देशों के संबंध में प्रक्रिया—[1][धारा 8 की उपधारा (1) या धारा 8क की उपधारा (1)] के अधीन किसी निर्देश की प्राप्ति पर, अधिकरण ऐसे निर्देश में नामित व्यक्ति पर ऐसे निर्देश की प्रति के साथ सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसे निर्देश में किए गए प्रकथनों के सम्बन्ध में ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारिख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसा अभ्यावेदन करे और ऐसा साक्ष्य पेश करे, जो वह अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में ठीक समझेः

परन्तु यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि पूर्वोक्त व्यक्ति तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर अपना अभ्यावेदन करने से और अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में साक्ष्य पेश करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह उसको तीस दिन से अनधिक ऐसी और अवधि के भीतर, जो वह आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में अपना अभ्यावेदन करने और साक्ष्य पेश करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

11. धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन आवेदनों के संबंध में प्रक्रिया—(1) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर अधिकरण विहित प्राधिकारी को, आवेदन की प्रति के साथ, सूचना जारी करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह प्राधिकारी ठीक समझे, आवेदन में किए गए प्रकथनों के संबंध में अधिकरण को रिपोर्ट दे ।

(2) यदि विहित प्राधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि—

(क) आवेदन में नामित व्यक्ति अवैध प्रवासी नहीं है या आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला है या सद्भावपूर्वक नहीं किया गया है तो अधिकरण आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आवेदन नामंजूर करेगा ;

(ख) यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि आवेदन में नामित व्यक्ति अवैध प्रवासी है तो अधिकरण आवेदन में नामित व्यक्ति को, आवेदन की प्राप्ति के साथ, सूचना जारी करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, आवेदन में किए गए प्रकथनों के संबंध में ऐसा अभ्यावेदन करे और ऐसा साक्ष्य पेश करे जो वह अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में ठीक समझेः

परन्तु यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि पूर्वोक्त व्यक्ति तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर अपना अभ्यावेदन करने से और अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में साक्ष्य पेश करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित किया गया था तो वह उसको तीस दिन से अनधिक ऐसी और अवधि के भीतर, जिसे वह, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में अपना अभ्यावेदन करने और साक्ष्य पेश करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

12. इस प्रश्न का अवधारण कि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी है या नहीं—(1) वह अधिकरण, [2][जिसको धारा 8 या धारा 8क के अधीन निर्देश किया गया है या जिसको धारा 8 के अधीन कोई आवेदन किया गया है,] ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जो उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और ऐसे व्यक्तियों की सुनवाई करने के पश्चात्, जिन्हें वह उचित समझे, आदेश द्वारा उस प्रश्न का विनिश्चय करेगा कि, यथास्थिति, ऐसे निर्देश या आवेदन में नामित व्यक्ति अवैध प्रवासी है या नहीः

परन्तु जहां किसी मामले में ऐसे प्रश्न के अवधारण के लिए किसी विवाद्यक पर विनिश्चय किसी अन्य विवाद्यक या विवाद्यकों पर किसी विनिश्चय को अनावश्यक बनाता है वहां अधिकरण ऐसे अन्य विवाद्यक या विवाद्यकों का विनिश्चय नहीं कर सकेगा ।

[1][“(2) जहां किसी प्रश्न पर अधिकरण के सदस्यों में मतभेद हैं वहां अधिकरण का अध्यक्ष ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का, जिन पर उनमें मतभेद हैं, कथन करते हुए, उस अपील अधिकरण के, जो ऐसे अधिकरण के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है, अध्यक्ष को निर्देश करेगा, जो मामले को, अपनी अधिकारिता के अधीन किसी अन्य अधिकरण के सदस्य को, ऐसे प्रश्न या प्रश्नो की सुनवाई करने के लिए निर्दिष्ट करेगा और ऐसा प्रश्न या ऐसे प्रश्न उस सदस्य की राय के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे और ऐसा विनिश्चय अधिकरण का विनिश्चय समझा जाएगा”।]

---

1. 1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 6 द्वारा (25-04-1988 से) प्रतिस्थापित।

2. 1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 7 द्वारा (25-04-1988 से) प्रतिस्थापित।

(3) अधिकरण अपने द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की प्रति विहित प्राधिकारी [1][या प्राधिकारियों] को और, यथास्थिति, निर्देश या आवेदन के पक्षकारों को भेजेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश, अपील अधिकरण के विनिश्चय के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

13. निर्देशों और आवेदनों का छह मास के भीतर निपटाया जाना—[1][धारा 8 या धारा 8क के अधीन अधिकरण को किया गया प्रत्येक निर्देश या धारा 8 के अधीन अधिकरण को किए गए आवेदन] की जांच यथासम्भव शीघ्र की जाएगी और भरसक प्रयास किया जाएगा कि ऐसी जांच, ऐसे निर्देश या आवेदन की प्रति की संबंधित व्यक्ति पर तामील को तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, समाप्त कर दी जाए।

14. अपील—केन्द्रीय सरकार या धारा 8 के अधीन निर्देश या किसी आवेदन में नामित व्यक्ति या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदक [2][या धारा 8 क के अधीन निर्देश में नामित कोई व्यक्ति] यदि उसका धारा 12 के अधीन अधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश से समाधान नहीं हुआ है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।

15. अपील अधिकरण—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रत्येक राज्य के लिए, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त है, उस राज्य में अधिकरणों द्वारा किए गए आदेशों के विरुद्ध धारा 14 के अधीन की गई अपीलों का विनिश्चय करने के लिए अवैध प्रवासी (अवधारण) अपील अधिकरण के नाम से ज्ञात अपील अधिकरण स्थापित कर सकेगी और ऐसे अपील अधिकरण की बैठक के मुख्य स्थान निर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नही किया जाएगा जब तक वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो।

(3) अपील अधिकरण उतने सदस्यों से, जो [3][कम से कम दो] और अधिक से अधिक छह होंगे, मिलकर बनेगा, जितने केन्द्रीय सरकार ठीक समझे।

(4) केन्द्रीय सरकार अपील अधिकरण के सदस्यों में से एक को उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

(5) अपील अधिकरण बैठक के अपने मुख्य स्थान में या किसी ऐसे अन्य स्थान या स्थानो में अधिविष्ठ होगा, जिन्हें उसका अध्यक्ष, समय-समय पर, नियत करे।

(6) अपील अधिकरण की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन उसके अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्यों में से गठित न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा [4]["जो या तो एकल सदस्य न्यायपीठें या ऐसी न्यायपीठें हो सकेगी जिनमें कम से कम दो सदस्य होगे"।]

(7) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक अपील अधिकरण को ऐसा कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगी, जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो।

(8) अपील अधिकरण को प्रत्येक अपील ज्ञापन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, किया जाएगा और धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन आवेदक द्वारा की गई अपील की दशा में उसके साथ विहित फीस होगी, जो पच्चीस रुपए से कम और सौ रुपए से अधिक नहीं होगी।

(9) प्रत्येक अपील उस तारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगी जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपीलार्थी को संसूचित किया गया थाः

परन्तु यदि अपील अधिकरण का यह समाधान हो जाता है अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित किया गया था तो वह तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा।

[4]["(10) किसी अपील की सुनवाई करते समय प्रत्येक अपील अधिकरण की वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन अपील न्यायाल में निहित होती हैं"।]

---

1. 1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 8 द्वारा (25-04-1988 से) प्रतिस्थापित।

2. 1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 9 द्वारा (25-04-1988 से) अंतःस्थापित।

3. 1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 10 द्वारा (25-04-1988 से) प्रतिस्थापित।

4. 1988 के अधिनियम की संख्या 10 द्वारा (25-04-1988 से) प्रतिस्थापित।

16. अपील अधिकरण का आदेश—(1) अपील अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि, उपान्तरण या बातिल करते हुए उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे अथवा उस मामले का उस अधिकरण को, जिसने ऐसा आदेश पारित किया था, ऐसे निदेशों के साथ, जो अपील अधिकरण ठीक समझे, प्रतिप्रेषण कर सकेगा कि वह उसका ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि आवश्यक हो, लेने के पश्चात् नए सिरे से अवधारण करे ।

(2) जहां किसी अपील की सुनवाई अपील अधिकरण द्वारा की गई है और उसके सदस्यों में किसी प्रश्न पर मतभेद है वहां ऐसे प्रश्न पर विनिश्चय, यदि कोई बहुमत है तो, ऐसे बहुमत के अनुसार किया जाएगा और जहां कोई बहुमत नहीं है और सदस्य राय में बराबर बंटे हुए हैं वहां वे मामले के तथ्यों का और ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का, जिन पर उनमें मतभेद हैं, कथन तैयार करेंगे और, यथास्थिति, प्रश्न या प्रश्नों अथवा अपील का निर्देश ऐसे अधिकरण के अध्यक्ष को करेंगे तथा ऐसे निर्देश की प्राप्ति पर, अधिकरण का अध्यक्ष ऐसे प्रश्न या प्रश्नों अथवा अपील की अपील अधिकरण के एक या अधिक सदस्यों द्वारा सुनवाई के लिए व्यवस्था करेगी और, यथास्थिति, ऐसे प्रश्न या प्रश्नों अथवा अपील का विनिश्चय अपील अधिकरण के ऐसे सदस्यों के, जिन्होंने उस अपील की सुनवाई की है, जिसके अन्तर्गत वे सदस्य हैं, जिन्होंने प्रथमतः उस अपील की सुनवाई की थी, बहुमत के अनुसार किया जाएगा ।

[1][(3) अपील अधिकरण उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति अपील के पक्षकारों, संबंधित अधिकरण और विहित प्राधिकारी या प्राधिकारियों को भेजेगा ।]

(4) [2][* * *] मामले का प्रतिप्रेषण करने वाले आदेश से भिन्न उपधारा (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और उस उपधारा के अधीन पारित कोई आदेश किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

[3]["**17. अपील अधिकरणों की अधीक्षण की शक्ति**—(1) प्रत्येक अपील अधिकरण राज्य में सभी अधिकरणों का अधीक्षण करेगा ।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपील अधिकरण—

(क) किसी अधिकरण से विवरणी मांग सकेगा ।

(ख) अधिकरणों की पद्धति और कार्यवाहियों के विनियमन के लिए साधारण नियम बना सकेगा और प्ररूप विनिर्दिष्ट कर सकेगा; और

(ग) वे प्ररूप विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनमें अधिकरणों के अधिकारियों द्वारा पुस्तकें, प्रविष्टियां और लेखा रखे जाएंगे"।]

अध्याय 3

सभी अधिकरणों को लागू होने वाले उपबंध

18. प्रक्रिया— इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए प्रत्येक अधिकरण और प्रत्येक अपील अधिकरण को अपनी शक्तियों के प्रयोग से उत्पन्न सभी विषयों या अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपनी प्रक्रिया का विनियमित करने की शक्ति होगी ।

19. कुछ प्रयोजनों के लिए प्रत्येक अधिकरण के समक्ष कार्यवाही का न्यायिक कार्यवाही होना—किसी अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और, यथास्थिति, प्रत्येक ऐसे अधिकरण या अपील अधिकरण को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

---

1. 1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 10 द्वारा (25-04-1988 से) प्रतिस्थापित ।

2. 1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 11 द्वारा (25-04-1988 से) लोपित ।

3. 1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 12 द्वारा (25-04-1988 से) प्रतिस्थापित

अध्याय 4

अधिकरणों द्वारा किए गए आदेशों का प्रवर्तन

20. अवैध प्रवासियों का निष्कासन—[1][(1)] जहां किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, किसी अधिकरण या अपील अधिकरण द्वारा अवैध प्रवासी अवधारित किया गया है वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति पर तामील किए गए आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर और ऐसे रास्ते से जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, भारत से स्वयं को हटा लेने के लिए निदेश देगी और भारत से उसको हटाए जाने के संबंध में ऐसे और निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक या समीचीन समझे ।

[2]["(2) ऐसे किसी पुलिस अधिकारी की, जो पुलिस अधीक्षक से निम्न पंक्ति का नहीं है, ऐसी शक्तियां होंगी जैसी आवश्यक हों, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति से उपधारा (1) के अधीन आदेश का सम्यक् अनुपालन करने के लिए बंधपत्र अभिप्राप्त करने की और ऐसे पुलिस अधिकारी के समाधान-प्रद रूप में ऐसा बंधपत्र देने में उसकी असफलता की दशा में ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति भी है"।]

अध्याय 5

प्रकीर्ण

21. शक्तियों का प्रत्यायोजन—केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम द्वारा उसको प्रदत्त या उस पर अधिरोपित शक्तियों और कर्तव्यों का, जो धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से भिन्न हैं और इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रयोग या निर्वहन—

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी ;

(ख) किसी राज्य सरकार या उस सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी,

द्वारा भी किया जा सकेगा ।

[3]["**21क. कतिपय व्यक्तियों को, जिनके विरुद्ध अधिनियम के अधीन परिवाद किया गया है, आबद्ध करने की शक्ति—** तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के लिए, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियों में ऐसा अपेक्षित है, और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई निर्देश या आवेदन किया गया है, जांच के लिए अपने को उपलभ्य करने के लिए और ऐसे निबंधनों या शर्तों का अनुपालन करने के लिए, जो ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रतिभू सहित या उनके बिना बंधपत्र लिखने का निदेश देना विधिपूर्ण होगाः

परंतु यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा बंधपत्र लिखने में असफल रहता है तो उसे ऐसी रीति से गिरफ्तार और निरुद्ध किया जा सकेगा जो विहित की जाए।"]

22. आदेशों आदि को प्रभावी करने की शक्ति—इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या उनके अनुसरण में किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कोई प्राधिकारी, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित किसी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त, ऐसे कदम उठाएगा या उठवाएगा और ऐसे बल का प्रयोग करेगा या करवाएगा, जो उसकी राय में ऐसी शक्ति के प्रभावी प्रयोग के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो ।

23. सिविल न्यायालयों की आधिकारिता का वर्जन— जहां किसी अधिकरण या अपील अधिकरण की स्थापना किसी क्षेत्र के लिए यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए की गई है कि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी है या नहीं वहां किसी सिविल न्यायालय को उस क्षेत्र में उस विषय से संबंधित कोई प्रश्न ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी और उस विषय के संबंध में अधिकरण या अपील अधिकरण द्वारा या उसके समक्ष की गई किसी कार्रवाई के संबंध में किसी सिविल न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा या कोई अन्य आदेश नहीं किया जाएगा ।

24. अस्थायी उपबन्ध—जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व चाहे किसी सिविल न्यायालय में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित किसी अधिकरण में लम्बित किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में इस बारे में प्रश्न उठता है कि कोई

---

[1]. 1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 13 द्वारा उपधारा (1) के रूप में पुनः सांख्याकित तथा उपधारा (2) अंतःस्थापित ।

[2] . 1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 13 द्वारा उपधारा (2) अंतःस्थापित ।

[3]. 1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 14 द्वारा (25-04-1988 से) अंतःस्थापित

व्यक्ति अवैध प्रवासी है या नहीं वहां ऐसा न्यायालय या अधिकरण, ऐसे प्रश्न का विनिश्चय किए बिना ऐसे वाद या अन्य विधिक कार्यवाही को, इस अधिनियम के अधीन उस अधिकरण को, जिसकी अधिकारिता की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर ऐसा न्यायालय या अन्य अधिकरण स्थित है, अन्तरित करते हुए आदेश करेगा और ऐसे अन्तरण पर ऐसे प्रश्न को ऐसे अधिकरण द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा ।

25. शक्तियां—कोई व्यक्ति जो,—

(क) धारा 20 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उसके उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा; या

(ख) ऐसे किसी आदेश द्वारा दिए गए किसी अनुदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा;

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को संश्रय देगा, जिसने धारा 20 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन किया है या जो ऐसे किसी आदेश द्वारा दिए गए किसी अनुदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है,

[1]["ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगी, दंडनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, पर्याप्त और विशेष कारणों से जिनका उल्लेख निर्णय में किया जाएगा, एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का या दो हजार रुपए से कम जुर्माने का दंड अधिरोपित कर सकेगा।"]

26. सद्भावपूर्वक की गई कारवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

27. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित किए जाने वाले आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

28. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थातः—

(क) धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे कोई आवेदन किया जा सकेगा और वह फीस जो ऐसे आवेदन के साथ होगी ;

[2]["(कक) वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे कोई आवेदन और वह प्ररूप जिसमें कोई घोषणा धारा 8क की उपधारा (2) के अधीन की जा सकेगी;"]

[3]["(ख) धारा 11, धारा 12 और धारा 16 के अधीन विहित किया जाने वाला या किए जाने वाले प्राधिकारी;"]

---

[1]. 1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 15 द्वारा (25-04-1988 से) प्रतिस्थापित ।

[2]. 1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 16 द्वारा (25-04-1988 से) अंतःस्थापित ।

[3]. 1988 के अधिनियम संख्या 24 की धारा 16 द्वारा (25-04-1988 से) प्रतिस्थापित ।

(ग) धारा 15 की उपधारा (8) द्वारा अपेक्षित वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे अपील अधिकरण को कोई अपील की जा सकेगी और वह फीस जो ऐसी अपील के साथ होगी;

[2][“(गक) धारा 21क के परंतुक के अधीन गिरफ्तारी और निरोध की रीति;”]

(घ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उक्त सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

29. निरसन और व्यावृति—(1) अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अध्यादेश, 1983 (1983 का 8) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह कि है उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।